BHARATIYA JANATA PARTY
11, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110 001

12 दिसम्बर 2013

लोक सभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज और राज्य सभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य

सरकार द्वारा 27 दिसम्बर 2011 को पेश लोकपाल विधेयक लोक सभा ने पारित कर दिया। लोक सभा द्वारा मंजूर इस विधेयक में लोकपाल की व्यवस्था की गई, जिसे असल में सरकार नियुक्त करेगी और इसका कामकाज सरकार द्वारा नियंत्रित होगा। इसमें जांच एजेंसी के रुप में सीबीआई की भी व्यवस्था की गई जिस पर असल में सरकार का नियंत्रण होगा। यह विधेयक भाजपा को स्वीकार्य नहीं था। राज्य सभा ने 29 दिसम्बर 2011 को इस विधेयक पर बहस की। विपक्ष ने इस विधेयक में अनेक संशोधन करने का सुझाव दिया। अधिकतर सदस्य इन संशोधनों के पक्ष में थे लेकिन 29 दिसम्बर 2011 को राज्य सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद विधेयक राज्य सभा की प्रवर समिति के पास भेज दिया गया, जिसका नेतृत्व कांग्रेस के सदस्य अर्थात श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी कर रहे थे। प्रवर समिति की अनेक बैठकें हुईं, और उसने 23 दिसम्बर 2012 को राज्य सभा को अपनी रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट तब से राज्य सभा के पास लंबित है। राज्य सभा में कामकाज की प्रक्रिया और संचालन नियमों के नियम 91 के अंतर्गत प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। यह अकेला ऐसा सदन है जो रिपोर्ट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे स्वीकार कर सकता है। यह स्थायी समिति की रिपोर्ट के परस्पर विरोधी है, जहां सरकार उक्त रिपोर्ट में संशोधनों का प्रस्ताव रख सकती है।

निसंदेह इसमें शामिल कुछ मुद्दों पर, भाजपा का विचार प्रवर समिति से कुछ अलग है, भाजपा का मत है कि अधिकांश मुद्दों पर प्रवर समिति की सर्वसम्मत सिफारिश होती है। जहां तक प्रवर समिति की सर्वसम्मत सिफारिशों का प्रश्न है, यह उचित होगा कि राज्य सभा इन सर्वसम्मत सिफारिशों को तत्काल स्वीकार करे। चूंकि इस विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में अनेक मौकों पर बहस हो चुकी है और यह

प्रवर समिति के समक्ष आ चुका है, भाजपा प्रस्ताव करती है कि प्रवर समिति की सर्वसम्मत सिफारिशों को राज्य सभा तत्काल स्वीकार करे और फिर लोक सभा के समक्ष लाए। वर्तमान समय, संसद के दोनों सदनों की विश्वसनीयता और भारत में सार्वजनिक जीवन के लिए, यह जरुरी है कि प्रवर समिति की सर्वसम्मत सिफारिशों को तत्काल स्वीकार किया जाए।

सदन में समाजवादी पार्टी और बसपा ने बार–बार बाधा पहुंचाई। पिछले साढ़े चार वर्षों में इन दलों ने अल्पमत सरकार को बचाना सुनिश्चित कर दिया है। यहां तक कि अगर ये दल कार्यवाही में बाधा पहुंचाते हैं (जो हमारा मानना है कि सरकार की आज्ञा से किया जा रहा है) हम प्रस्ताव रखते हैं कि यूपीए और एनडीए बिना किसी चर्चा और प्रवर समिति की सर्वसम्मत सिफारिशों को स्वीकार किये बिना संयुक्त रुप से इस विधेयक को पारित करा दें क्योंकि लोकपाल विधेयक काफी लम्बे समय से लम्बित है। अब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हमारे प्रस्तावों का जवाब दे। अगर सरकार प्रवर समिति की सर्वसम्मत सिफारिशों में संशोधन करना चाहती है अथवा वह चाहती है कि समर्थन देने वाले दल सदन की कार्यवाही में बाधा डालें, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार की लोकपाल में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम एक बार फिर इस बात को दोहराना चाहते हैं कि हम बिना चर्चा के भी इस विधेयक को पारित कराने के लिए तैयार हैं।

आर. के. सिन्हा

सचिव, भाजपा संसदीय दल